न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 45/2014

1. श्री सुखदेव पुत्र श्री जुवारा
2. श्रीमति फूमा पत्नी श्री सुखदेव
3. श्री नौरतमल पुत्र श्री गोपी
   समस्त जाति गूजर
4. श्री मिश्री लाल
5. श्री भंवरलाल
   पुत्रगण श्री शंकरलाल जाति माली
   समस्त निवासीगण ग्राम मसूदा
6. श्री पूरणमल
7. श्री बीरम
   पुत्रगण श्री अजीमा
8. श्रीमति शान्ति उर्फ संतोष पत्नी श्री अभयराज
   समस्त जाति मेहरात निवासीगण अजीमा का बाडिया ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चेतन प्रकाश पुत्र श्री माधूलाल जाति सैनी निवासी ग्राम मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
2. शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर
3. तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रकरण संख्या 46/2014

1. श्री सुखदेव पुत्र श्री जुवारा
2. श्रीमति फूमा पत्नी श्री सुखदेव
3. श्री नौरतमल पुत्र श्री गोपी
   समस्त जाति गूजर
4. श्री मिश्री लाल
5. श्री भंवरलाल
   पुत्रगण श्री शंकरलाल जाति माली
   समस्त निवासीगण ग्राम मसूदा
6. श्री पूरणमल

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

7. श्री बीरम
   पुत्रगण श्री अजीमा
8. श्रीमति शान्ति उर्फ संतोष पत्नी श्री अभयराज
   समस्त जाति मेहरात निवासीगण अजीमा का बाडिया ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्रीमति अन्जूकंवर पत्नी श्री मुकनसिंह राठौड जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा, जिला अजमेर
2. शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर
3. तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री विजयसिंह रावत, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री राकेश अरोडा वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।

–: आदेश :–

दिनांक 03.02.2016

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.04.2013 को ग्राम मसूदा में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री चेतन प्रकाश पुत्र श्री माधूलाल जाति सैनी निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मसूदा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 3493/3 में से 5 बीघा भूमि इसी प्रकार श्रीमति अन्जूकंवर पत्नी श्री मुकन सिंह राठौड जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम मसूदा जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मसूदा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 3493/3 में से रकबा 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधिविरूद्व बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की एवं प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3493/4 के समीप लगती हुई है जिस पर प्रार्थी संख्या 1 का एक बीघा भूमि पर, प्रार्थी संख्या 2 का 4 बीघा भूमि पर, प्रार्थी संख्या 5 का ढाई बीघा भूमि एवं शेष प्रार्थीगण प्रत्येक का डेढ बीघा भूमि पर इस प्रकार प्रार्थीगण का सम्पूर्ण 15 बीघा भूमि पर पिछले कई वर्षो से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को काफी मेहनत, बल, श्रम एवं काफी रूपये खर्च कर विकसित, उपजाऊ एवं काबिल काश्त की गई है। विवादित भूमि वरवक्त आवंटन रिक्त नहीं थी तथा न ही आवंटन योग्य थी इसके बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना मौके की वास्तविक जांच अथवा रिपोर्ट प्राप्त किये ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत एवं मिथ्या कथन अंकित कर अपने पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई न तो उद्घोषणा जारी की गई तथा न ही ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूचि तैयार की गई। वरवक्त आवंटन कोरम भी पूरा नहीं था। आवंटन आदेश पर विकास अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, एवं अनुसूचित जाति के मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है जबकि आवंटन/नियमन के नियमों के अधीन समस्त सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को न तो कोई सूचना दी गई तथा न ही सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति मन्जूकंवर एवं उनके पति श्री मुकन सिंह जो स्वंय पत्रकार है, के द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत एवं झूठी कब्जे काश्त की तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने पक्ष में तैयार करवा कर विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया है जबकि सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि पर आज दिनांक प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2067 एवं 2069 एवं तहसीलदार मसूदा द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक नहीं है बल्कि पूर्व में ही इनके खातेदारी में काफी कृषि भूमि है जबकि प्रार्थीगण सद्भावी कृषक होकर ग्राम मसूदा के स्थानीय निवासी है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के लगाकर होने के साथ ही मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे कायत में होने से विवादित भूमि के नियमन के प्रथम अधिकारी हे। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन करने के आदेश किये जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पूर्णतय नियमानुसार किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका कदीमी समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि पर नियमानुसार फसल काश्त की जा रही है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2061 से 2069 के अवलोकन से स्पष्ट है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हों। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **03.02.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner